



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102024-258076  
CG-DL-E-19102024-258076

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4219]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 18, 2024/आश्विन 26, 1946

No. 4219]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 18, 2024/ASVINA 26, 1946

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4588(अ).—राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) की धारा 3 के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद् द्वारा डॉक्टर अर्चना मजूमदार को पद भार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि, या 65 वर्ष की आयु होने या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य के रूप में नामित करती है।

[फा. सं. प्रशा.-20/20/2024-एनसीडब्ल्यू प्रशा.]

सर्वेश कुमार आर्य, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th October, 2024

**S.O. 4588(E).**—In pursuance of Section 3 of the National Commission for Women Act, 1990 (20 of 1990), the Central Government hereby nominates Dr. Archana Majumdar as Member of the National Commission for Women (NCW) for a period of three years from the date of assumption of charge of the post, or till the age of 65 years, or until further orders, whichever is the earliest.

[F. No. Adm-20/20/2024-NCW ADMN]

SARWESH KUMAR ARYA, Jt. Secy.